DAINIK PURVODAY, Guwahati, 14.3.2025
Page No. 07, Size:(8.82)cms X (13.68)cms.

दैनिक पूर्वोदय
सही दिशा, सही खबर

## मुर्दों के इलाज के नाम पर पैसा उगाही मामला

# एनएचआरसी, बीएचआरसी और यूपीएचआरसी में याचिका दायर

**पटना, 13 मार्च (एजेंसी)।** उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी व निजी अस्पतालों में कथित रूप से मुर्दों के इलाज और इस आड़ में चल रहे गोरखधंधे का मामला उजागर हुआ है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (बीएचआरसी) और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (यूपीएचआरसी) में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

हाल ही में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सरकारी व निजी अस्पतालों में मृत व्यक्तियों के इलाज के नाम पर पैसे की उगाही और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के दौरान अस्पतालों के कर्मी और चिकित्सक इस तरह की धोखाधड़ी में संलिप्त हैं। इन घटनाओं को गुप्त कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह सनसनीखेज मामला सामने आया।

डॉ. झा ने इस प्रकरण को मानवाधिकार कानून और चिकित्सकीय आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह मांग की है कि गहराई से जांच हो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाए। कहा गया है कि जिन अस्पतालों और चिकित्सकों ने इस फर्जीवाड़े में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

कहा जा रहा है कि यह मामला केवल आर्थिक धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि चिकित्सा जगत की साख पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है, इसलिए मानवाधिकार आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डॉ. झा ने कहा कि यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें दोषियों पर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

DAINIK PURVODAY, Guwahati, 14.3.2025
Page No. 07, Size:(8.82)cms X (13.68)cms.

दैनिक पूर्वोदय
सही दिशा, सही खबर

## मुर्दों के इलाज के नाम पर पैसा उगाही मामला

# एनएचआरसी, बीएचआरसी और यूपीएचआरसी में याचिका दायर

**पटना, 13 मार्च (एजेंसी)।** उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी व निजी अस्पतालों में कथित रूप से मुर्दों के इलाज और इस आड़ में चल रहे गोरखधंधे का मामला उजागर हुआ है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (बीएचआरसी) और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग (यूपीएचआरसी) में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

हाल ही में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सरकारी व निजी अस्पतालों में मृत व्यक्तियों के इलाज के नाम पर पैसे की उगाही और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के दौरान अस्पतालों के कर्मी और चिकित्सक इस तरह की धोखाधड़ी में संलिप्त हैं। इन घटनाओं को गुप्त कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह सनसनीखेज मामला सामने आया।

डॉ. झा ने इस प्रकरण को मानवाधिकार कानून और चिकित्सकीय आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह मांग की है कि गहराई से जांच हो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाए। कहा गया है कि जिन अस्पतालों और चिकित्सकों ने इस फर्जीवाड़े में भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

कहा जा रहा है कि यह मामला केवल आर्थिक धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि चिकित्सा जगत की साख पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है, इसलिए मानवाधिकार आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डॉ. झा ने कहा कि यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें दोषियों पर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।